91

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
## समक्षः—श्री एम0के0 सिंह
## सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1531—एक/2010 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 17—09—2010 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 80/2009—10/अपील

.....

रणवीरसिंह पुत्र श्री रिंगेसिंह,
निवासी —ग्राम किशुपुरा, तहसील अटेर
जिला—भिण्ड (म0प्र0)

..... आवेदक

**विरूद्ध**

1— गजेन्द्रसिंह पुत्र स्व. श्री मानसिंह
2— बृजेन्द्रसिंह,
3— विक्रमसिंह पुत्रगण स्व. श्री मानसिंह
4— उमलेश उर्फ मुन्नी पुत्री स्व. श्री मानसिंह
5— श्रीमती शिवदेवी पत्नी स्व. श्री मानसिंह
निवासीगण— ग्राम किशुपुरा, तहसील अटेर
जिला—भिण्ड (म0प्र0)

.....अनावेदकगण

.....

श्री के0के0 दिवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

**आदेश**

(आज दिनांक 4—11—2016को पारित )

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 80/2009—10/अपील में पारित आदेश दिनांक 17—09—2010 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 ( जिसे संक्षेप में आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि आवेदक ने तहसीलदार अटेर के समक्ष मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के अंतर्गत बटवारा आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि

ग्राम गोहदूपुरा स्थित विवादित आराजी क्रमांक 522 रकबा 0.42, 540 रकबा 0.58 कुल किता 2 कुल रकबा 1.00 हैक्टर का सामिलाती खाता उसके एवं मानसिंह के बीच था, जिनमें धरू बटबारा हो चुका है, अतः बटवारा किया जावे । तहसीलदार अटेर ने प्रकरण क्रमांक 17/2006--07/अ-- 27 पंजीबद्ध कर सुनवाई प्रारंभ की, किन्तु कार्यविभाजन अनुसार प्रकरण नायब तहसीलदार सुरपुरा के यहॉ अंतरित होने पर प्रकरण क्रमांक 35/2006--07/अ--27 पर दर्ज होकर सुनवाई की गई। इसी प्रकार आवेदक ने मध्यप्रदेश भू--राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के अंतर्गत बटवारा आवेदन प्रस्तुत कर, ग्राम जौरी कोतवाल में उसके एवं मानसिंह के संयुक्त खाते की आराजी क्रमांक 8 रकबा 0.43, 72 रकबा 0.69 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.12 हैक्टर सामिलाती होना व धरू बटवारा होने से बटवारे की मांग की, जिस पर से नायब तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 23/2006--07/अ--27 पंजीबद्ध किया। आवेदक ने तीसरा आवेदन नायब तहसीलदार वृत्त सुरपुरा को म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि ग्राम विशुपुरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 306 रकबा 0.12 308 रकबा 0.12, 698 रकबा 0.23, 736 रकबा 0.14 कुल किता 4 कुल रकबा 0.61 है जिसका उसके एवं मानसिंह के बीच धरेलू बटवारा हो चुका था बटवारे की मांग की, जिस पर से नायब तहसीलदार ने ने प्रकरण क्रमांक 24/अ--27/2006--07 पंजीबद्ध किया एवं तीनों प्रकरणों को सम्मिलित कर सुनवाई उपरांत संयुक्त आदेश दिनांक 24.04.07 पारित कर उभय पक्ष के बीच बटवारा कर दिया। इस सयुक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक के पिता मानसिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अटेर के समक्ष अपील पेश की जो प्रकरण क्रमांक 14/06--07/अपील पर दर्ज होकर, पारित आदेश दिनांक 05.06.2008 द्वारा इस आधार पर निरस्त की गई की अपीलकर्ता द्वारा तीन आदेशों के विरूद्ध एक अपील प्रस्तुत की गई है जबकि तीन आदेशों द्वारा तीन अपील प्रस्तुत की जानी चाहिये । अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 14/2006--07/अपील में पारित आदेश दिनांक 05.06.08 से यह अवधारित किया की नायब तहसीलदार के तीन प्रकरणों में पारित संयुक्त आदेश के विरूद्ध एक अपील की गई है इसलिये ग्राह्य नहीं है और उन्होंने अपील अगाह्य मानकर निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के यहॉ अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 226/2007--08/अपील में पारित आदेश दिनांक 03.07.09 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 05.06.08 निरस्त किया गया तथा अपील का निराकरण गुणदोष के आधार पर

करने के निर्देश दिये। अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में प्रकरण वापिस पहुंचने पर क्रंमाक 28/2008–09/अपील पर पुर्नपंजीयत किया गया। दिनांक 13.06.09 को मानसिंह अपीलांट की मृत्यु होने पर 22.10.09 को उसके विधिक वारिसान द्वारा रिकार्ड पर लिये जाने हेतु व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 22 नियम 3 का आवेदन प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 21.12.09 से आवेदन समयावधि में न होना मानकर अपील उप–समित की गई। इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्र0 1 द्वारा अपील न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष पेश की गई है। अपर आयुक्त न्यायालय में विधिवत प्रकरण क्रमांक 80/2009–10/अपील पर पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 17.09.2010 द्वारा मात्र इस आधार पर स्वीकार की गई कि अनुविभागीय अधिकारी, अटेर ने जो आदेश दिनांक 21.12.2009 को पारित किया है, वह मृतक के विधिक वारिसानों को अभिलेख पर लिये जाने बावत् प्रस्तुत आवेदन पत्र अवधि बाह्य मान्य किया था, इसलिये उक्त आदेश निरस्त कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, अटेर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि वह प्रकरण का निराकरण 60 दिवस में करें। इसी आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय कास आदेश्या अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल है । व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 में यह प्रावधान है कि मृतक के विधिक वारिसानों को निर्धारित अवधि 90 दिवस के भीतर अभिलेख पर लाया जायेगा और यदि उक्त अवधि में विधिक वारिसानों को अभिलेख पर नहीं लाया जाता है तब ऐसी स्थिति में अपील स्वतः उप–समित हो जायेगी। इस बिन्दू पर विचार किये बिना ही आदेश पारित किया गया है । अनावेदकगण द्वारा मृतक मानसिंह के विधिक वारिसान के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, उसमें मृतक के समस्त वारिसानों को प्रस्तुत नहीं किया गया था । अतः इस प्रकार आवेदन–पत्र त्रुटिपूर्ण होने से प्रथमदृष्टि में ही अपास्त किये जाने योग्य था और इसी बिन्दू पर विधिवत विचार करने के पश्चात जो आदेश अनुविभागीय अधिकारी, अटेर द्वारा पारित किया गया था, वह विधिवत एवं सही होने से स्थिर रखे जाने योग्य था, किन्तु अपर आयुक्त द्वारा विधिक प्रावधानों पर विचार किये बिना जो आदेश पारित किया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अनावेदकगण के पिता के पास जो भूमि है उसका क्षेत्रफल अधिक है, जबकि आवेदक के पास जो भूमि है वह

क्षेत्रफल में कम है । नायब तहसीलदार सुरपुरा द्वारा प्रकरण में विधिवत जांच की जाकर बटवारा आदेश पारित किया गया था, जिसे बिना किसी विधिक कारण से अपास्त करने में द्वितीय अपीलीय न्यायालय वैधानिक त्रुटि की है । व्यक्ति विशेष के लाभ हेतु प्रकरण का प्रत्यावर्तन किया जाना नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है । क्योंकि व्यक्ति को जब साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय दिया जाता है और यदि वह उक्त समय का लाभ नहीं उठाता है, तब ऐसी स्थिति में उसे लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से प्रकरण का पुनः प्रत्यावर्तन किया जाना नितांत, अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि अनावेदक मानसिंह की मृत्यु 13.06.09 को हुई और मृतक के वारिसान की ओर से रिकार्ड पर लिये जाने हेतु आवेदन दिनांक 22.10.09 को प्रस्तुत हुआ है, किन्तु यह भी विचारणीय है कि आलोच्य प्रकरण 13.06.09 को अनुविभागीय अधिकारी अटेर के न्यायालय में नहीं था, क्योंकि वह अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय में प्रचालित अपील क्रमांक 226/07–08 में संलग्न होकर विचारित था और अपर आयुक्त न्यायालय से आदेश दिनांक 03.07.2009 से अपील का अंतिम निराकरण हुआ है। अनुविभागीय अधिकारी, अटेर के प्रकरण में अपर आयुक्त न्यायालय के आदेश दिनांक 03.07.09 के अंतिम पृष्ठ पर अपर आयुक्त के प्रवाचक द्वारा डाले गये जावक क्रमांक 1027 दिनांक 30.07.2009 से स्पष्ट तिथि के बाद ही अनुविभागीय अधिकारी को उनके न्यायालय का प्रकरण क्रमांक 14/2006–07/अपील वापिस प्राप्त हुआ है और इन्हीं कारणों से मृतक मानसिंह के विधिक वारिस अनुविभागीय अधिकारी, अटेर के समक्ष मानसिंह की मृत्यु दिनांक 13.06.09 के वाद वारिसान को रिकार्ड पर किलये जाने का आवेदन नहीं दे सके और न्यायालयीन कार्यवाहियों में व्यतीत उक्तानुसार समय का लाभ मृतक मानसिंह के वारिसान को मिलना चाहिये, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने इन तथ्यों पर चिार किये बिना मृत्यु दिनांक 13.06.09 से 90 दिवस में आवेदन न आने का अनुमान लगाकर अवेटमेंट में अपील खत्म कर देना अनावेदक को न्याय से वंचित करना माना जावेगा । अतः मानसिंह अनावेदक की मृत्यु

होने पर उक्त तथ्यों के आधार पर उसके विधिक वारिसान द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 22 नियम 3 का आवेदन अपर आयुक्त द्वारा स्वीकार किया गया है । दिनांक 13.06.09 को मानसिंह अनावेदक की मृत्यु होने के बाद उसके विधिक वारिसान द्वारा रिकार्ड पर लिये जाने हेतु दिनांक 22.10.09 को व्यवहार प्रकिया संहिता आदेशा 22 नियम 3 का आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे समयावधि में न होना मानकर अपील उप–समित होना मानी है। बजीरखान बनाम सुमित्रा देवी 1984 रा.नि. 28 का न्यायिक दृष्टांत है कि पहली अपील अवधि बाधित होने से खारिज, दूसरी अपील गुणागुण पर निर्णीत नहीं की जा सकती, प्रथम अपीलीय कोर्ट को रिमाण्ड होगी।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने अपने आदेश दिनांक 17–09–2010 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, अटेर के आदेश को त्रुटिपूर्ण मानकर निरस्त किया है । अपर आयुक्त के द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती। अतः अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना का आदेश दिनांक 17–09–2010 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है । फलतः निगरानी आधारहीन एवं महत्वहीन होने से निरस्त किया जाता है । तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर